न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 17, गाजियाबाद।

आर्बिट्रेशन वाद संख्या 40/2021

शिवराज त्यागी आदि बनाम यूनियन आफ इण्डिया

दि० 02-02-2024

लंच बाद।

पत्रावली हेतु पेश हुयी। पुकार करायी गयी।

पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सी० पी० सी० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 34 आर्बीटेशन एक्ट मा० न्यायालय जिला जज महोदय के समक्ष दाखिल किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जिला जज महोदय के समक्ष पूर्व पत्रावलीयों में बनाये गये विपक्षीगण के नाम व पते के अनुसार व NHAI एक्ट 1956 की धारा 4 के आधार पर ही उपरोक्त पत्रावली में विपक्षी - यूनियन ऑफ इण्डिया, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, द्वारा परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ऑफ इंडिया, G-5 & 6, सैक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 को बनाया गया। मा० उच्च न्यायालय के समक्ष N.H.A.I. द्वारा दाखिल अपील 913/2023 नवीन त्यागी आदि बनाम U.0.1. में पारित आदेश दि० 22.11.2023 के अनुपालन में व विपक्षी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 के सन्दर्भ में उपरोक्त पत्रावली में विपक्षी/प्रतिवादी यूनियन ऑफ इण्डिया, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ऑफ इंडिया, G–5 & 6, सैक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075 के स्थान पर "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, द्वारा परियोजना निदेशक, NHAI PIU–Ghaziabad, at KM 2+000, NH–9 (Old NH–24), Near Akshardham Temple, New Delhi 110092" को प्रतिवादी बनाया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। मा० न्यायालय के समक्ष दायर आर्बीटेशन प्रार्थना पत्र में उक्त त्रुटि का निम्न प्रकार संशोधन किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है।

धारा–34 के प्रार्थना पत्र के प्रथम पृष्ठ में प्रतिवादीगण/विपक्षीगण के पते "यूनियन ऑफ इण्डिया, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ऑफ इंडिया, G–5 & 6, सैक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075" को काटा जाकर प्रतिवादीगण/विपक्षी का पता निम्न प्रकार लिखा जायेः–

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, द्वारा परियोजना निदेशक, NHAI PIU–Ghaziabad, at KM 2+000, NH–9 (Old NH–24), Near Akshardham Temple, New Delhi–110092.

प्रार्थना की गयी है कि उक्त आर्बीटेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 34 में उपरोक्तानुसार संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

प्रार्थनापत्र पत्र के विरूद्ध विपक्षी की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

संशोधन प्रार्थनापत्र पत्र के अवलोकन से दर्शित है कि प्रार्थीगण द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र के माध्यम से मात्र यह संशोधन चाहा गया है कि धारा 34 के प्रार्थनापत्र पत्र के प्रथम पृष्ठ में पक्षकार "यूनियन ऑफ इण्डिया, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ऑफ इंडिया, G–5 & 6, सैक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075" को काटा जाकर भारतीय

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, द्वारा परियोजना निदेशक, NHAI PIU–Ghaziabad, at KM 2+000, NH–9 (Old NH–24), Near Akshardham Temple, New Delhi–110092 लिखा जाए।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.11.2023 के आलोक में दिया गया है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश–6 नियम–17 व धारा 151 सी० पी० सी० स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश–6 नियम–17 व धारा 151 सी० पी० सी० स्वीकार किया जाता हैं। प्राथीगण वाछिंत संशोधन अन्दर 03 दिन करें।

पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 19–02–2024 को पेश हो।

(सीमा सिंह)
अपर जिला जज,
कोर्ट सं०-17 गाजियाबाद।